न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – के.सी. मीना, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 129/2018

दायर दिनांक – 28.06.2018

1. रामेश्वरलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी मनाफरसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

बनाम

– वादी –

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक :– 17.01.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से ग्राम रोही चक 5 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/40 के किला नं0 5, 6, 7, 11 ता 15, 18 ता 22 की 13.00 बीघा, मु0नं0 43/48 के किला नं0 1, 2, 10 की 3.00 बीघा, मु0नं0 44/33 के किला नं0 1 की 1.00 बीघा कुल तादादी 17.00 बीघा कमांड/अनकमांड व चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/32 के किला नं0 16, 17, 25 की 3.00 बीघा कमांड, मु0नं0 43/47 के किला नं0 16, 17, 18, 22, 23 की 4.16 बीघा कमांड कुल 7.16 बीघा कमांड भूमि खातेदारी भूमि है जो वादी की खरीदशुदा भूमि है तथा वादी के कब्जे काश्त में है। वादी को रमेश चन्द्र व रामेश्वरलाल दोनों नाम से पुकारा जाता है किन्तु वादी का वास्तविक नाम रामेश्वरलाल है। वादगत भूमि खरीद किये जाते समय किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होने से वादी का नाम रमेशचन्द्र लिखवा दिया गया इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अब रमेश चन्द्र के स्थान पर रामेश्वरलाल नाम संशोधित करवाना चाहता है। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है अतः वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रमेशचन्द्र के स्थान पर रामेश्वरलाल की घोषणा करवाने का हकदार है। दिनांक 30.05.2018 को वादी द्वारा अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा इन्कार करने पर वादी को वादकारण हासिल हुआ। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि उपरोक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेशचन्द्र के स्थान पर रामेश्वरलाल दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के लिए नाम परिवर्तन का

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

अन्य विधिक उपचार उपलब्ध है एवं बैयनामा के अंदर अंकित नाम को परिवर्तन शुद्वि पत्र पंजीबद्व कराकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं अतः यह वाद खारिज फरमाया जावे।

3. वकील वादी की इकतरफा बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की तहसील लूनकरनसर के चक 5 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/40, 48, 44/33 की 17.00 बीघा कमांड/अनकमांड तथा चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/32, 47 की 7.16 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामेश्वरलाल की जगह रमेशचन्द्र लिखा गया है जबकि सही नाम रामेश्वरलाल है। उक्त दोनों नाम वादी के ही इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादगत भूमि खरीद की उस समय किसी प्रकार का परिचय पत्र नहीं लगाया जाता था व वादी का बोलता नाम रमेशचन्द्र था इसलिए वादी का नाम रामेश्वरलाल की जगह रमेशचन्द्र राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है। वादी रमेशचन्द्र की जगह दुरूस्त करवाकर रामेश्वरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गया तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसी दिनांक 30.05.2018 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वादी का नाम चक 5 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/40, 48, 44/33 की 17.00 बीघा कमांड/अनकमांड तथा चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/32, 47 की 7.16 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि के राजस्व रिकार्ड, जिसमें वादी अपने नाम रमेशचन्द्र की जगह रामेश्वरलाल शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहता है। वकील वादी ने वादपत्र के साथ ग्राम पंचायत राजासर उर्फ करणीसर, पंचायत समिति लूनकरनसर की तस्दीक एवं आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें वादी का नाम रामेश्वरलाल अंकित है। कैम्प बडेरन में मजमें आम में तैयार की गई फर्द पेश की गई है।

4. हमने वकील वादी की बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव ग्राम पंचायत राजासर उर्फ करणीसर, पंचायत समिति लूनकरनसर की तस्दीक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैम्प बडेरन में मजमें आम में तैयार की गई फर्द आदि दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि रमेशचन्द्र व रामेश्वरलाल दोनो नाम वादी के हैं, वादी के बोलते नाम रमेशचन्द्र से वादगत भूमि खरीद की गई इस कारण राजस्व रिकार्ड में रमेशचन्द्र नाम से अंकन हुआ है। अब वादी रमेशचन्द्र के स्थान पर रामेश्वरलाल नाम की शुद्वि करवाना चाहता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि चक 5 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/40, 48, 44/33 की 17.00 बीघा कमांड/अनकमांड तथा चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/32, 47 की 7.16 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेशचन्द्र के स्थान पर रामेश्वरलाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.सी.मीना)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर